



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122020-223618  
CG-DL-E-09122020-223618

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3929]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 2020/अग्रहायण 18, 1942

No. 3929]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2020/AGRAHAYANA 18, 1942

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4470 (अ).—केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, “हिमाचल प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत स्तंभ 4 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से संबंधित क्रम सं. 35 के सामने अंक “2019” के स्थान पर अंक “2020” रखे जाएंगे।

[फा. सं. आर-13040/66/2012-एचडी (तक.)]

पी. एन. रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की दूसरी अनुसूची का प्रथम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3496, तारीख 11 अक्तूबर, 1977 के द्वारा और अंतिम बार संशोधन का.आ. संख्यांक 3953(अ), तारीख 2 नवम्बर, 2020 के द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2020.

**S.O. 4470 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the said Second Schedule, under the heading “HIMACHAL PRADESH”, against serial number 35 relating to Himachal Pradesh University, Shimla, in column 4, for the figures “2019”, the figures “2020” shall be substituted.

[F. No. R-13040/66/2012-HD (Tech)]

P.N.RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

**Note :** The Second Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) was first amended *vide* notification number S.O.3496, dated the 11th October, 1977 and was last amended *vide* number S.O. 3953 (E), dated the 2nd November, 2020.